...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1/7/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली में तनकी पेश की। शा.मि. हो। वादीगण प्रा.पत्र सुनी जावे। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दिनांक 15/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/7/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29/7/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 5/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/8/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। वादी द्वारा अपने दावे में प्रथम रिलीफ बिन्दु सं. 1 दानपत्र दिनांक 2-11-22 को निरस्त/शून्य करने का है। जिसे शून्य/निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः वादी का मूल वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से प्रार्थना पत्र O-7-R-11 सिविल धारा 151 CPC के तहत स्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादी उक्त दानपत्र को निरस्त/शून्य घोषित करने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। पत्रावली नम्बर लेकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (चूरू)	